

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

:: आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न लोकसेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्न लोकसेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की योग्य सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई अभिशंषानुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम-50(1) के अन्तर्गत नाम के सामने कालम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	लोकसेवक का नाम व पदस्थापन स्थान (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	जन्मतिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	प्रमिला गौड़, सथाना बाजार विजयनगर, अजमेर	Headmistress	04.01.63	29.12.86	01.08.2017
2	सुशीला शर्मा डाईट, मसूदा, अजमेर	Principal	04.02.59	02.01.86	31.08.2017
3	कजोड मल महावर जवाली, टोक	Principal	04.04.58	04.03.78	01.08.2017
4	निर्मल कुमार वर्मा लूलास, भीलवाडा	Principal	10.06.58	22.12.79	01.09.2017
5	अमर चन्द रामगढ शेखावाटी, सीकर	Principal	31.12.57	18.07.83	08.08.2017
6	भवरलाल प्रजापत खिलेरिया, चूरु	Principal	15.08.58	07.10.85	01.09.2017
7	अंजू पारीक बालरासर आथूणा, चूरु	Principal	10.06.64	15.03.91	01.10.2017

(अत्मल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक- 10.07.17

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक-सेवानिवृत्ति/2017

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
3. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
5. सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान
6. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को आदेश अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता अनुभाग/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग
8. प्रभाग प्रभारी-बी-1/बी-2/बी-3
9. निजी/रक्षित पत्रावली

(अत्मल डिडेल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर